कार्यालय कलेक्टर दमोह

रा0 प्र0 क्र.22अ/59 वर्ष 2012–13

मोजा (1) दिनारी पटवारी ह.न. 1 तहसील तेंदूखेड़ा जिला दमोह
(2) देवरी लीलाधर पटवारी ह. न. 3 तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह

विषयः– शासन के विभिन्न जलाशय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले वनभूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण वाबत्।

आदेश

(आज दिनांक 16 अप्रैल 2013 को पारित)

कार्यालय वनसंरक्षक पदेन वन मण्डल अधिकारी दमोह ने पत्र क्र. मा.चि/4892, दमोह दिनाक 17.12.2012 एवं क्र. 838 दिनांक 22.03.2013 द्वारा लेख किया है कि दमोह जिले में जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले ग्राम पिपरिया टीकाराम तहसील तेंदूखेड़ा की शासकीय भूमि ख.न. 238, 245, 246, 247, 271, 273, 274, 275, 272, 239, 240, 243, 242 कुल रकवा 194 हे0 उक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी जो परीक्षण उपरांत वन भूमि पाई गई तथा इन भूमियों की म0प्र0 शासन द्वारा संरक्षित वन खण्ड से आरक्षित वन खण्ड बनाने के आशय की अधिसूचना क्र. 13198–10564–10 दिनांक 24.12.1966 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। अतः कृपया उक्त हस्तांतरित भूमि का आदेश निरस्त करने का कष्ट करें। इसी परिपेक्ष्य में तहसील तेंदूखेडा अंतर्गत ग्राम दिनारी पटवारी ह. न. 1 के ख. न. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर पटवारी ह. न. 3 के खसरा न. 442 रकवा 41.330 हे0 दोनों भूमियाँ शासकीय अभिलेख में पहाड़ चट्टान दर्ज है, वन क्षेत्र से लगी होने एवं वनीकरण हेतु उपयुक्त होने से वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु लेख किया है।

वन विभाग के उपरोक्त पत्र को विचार में लेकर तहसीलदार तेंदूखेडा से ग्राम दिनारी एवं देवरी लीलाधर की प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु जॉच प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार तेंदूखेडा ने प्रकरण क्र. 1970 ब/121 वर्ष 12–13 अनुसार प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2013 अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रतिवेदनानुसार ग्राम दिनारी की भूमि खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 पहाड़ी क्षेत्र है, जो वनीय पौधारोपण हेतु उपयुक्त है। इस भूमि में किसी प्रकार का सार्वजनिक निस्तार नहीं है, आवागमन हेतु उपयोग किये जा रहे मार्गो पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नही होगा। ठीक इसी प्रकार ग्राम देवरी लीलाधर की भूमि खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 भूमि पहाड़ी है, वन

2/-

पौधारोपण हेतु उपयुक्त है। किसी प्रकार सार्वजनिक आम निस्तार में उपयोग नहीं हो रही है। प्रश्नाधीन भूमि पर आवागमन हेतु पक्की सड़क है। जिसका आम उपयोग हो रहा है। शेष भाग रिक्त है। दोनों भूमियाँ मद पहाड़ चट्टान की हैं। दोनों भूमियों का स्थल निरीक्षण वन संरक्षक पदेन वनमण्डल अधिकारी दमोह, परिक्षेत्राधिकारी तेजगढ़, पटवारी एवं अन्य के साथ किया जाकर संयुक्त निरीक्षण। टीप प्रकरण में सलग्न की गई हैं। प्रश्नाधीन दोनों भूमियाँ वन विभाग की सरहद से लगी हुई है। अतः वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवरण के आधार पर संयुक्त निरीक्षण पश्चात चयनित भूमि ग्राम दिनारी पटवारी ह. नं. 1 खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर पटवारी ह. नं. 3 की भूमि खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 कुल रकवा 155.68 हे0 वन विभाग के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने, ग्रामवासियों का आम निस्तार प्रभावित नहीं होने, प्रचलित मार्गो पर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवरोध नहीं करने की दशा में शासन द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) के तहत तैयार निस्तार पत्रक में मद पहाड़ चट्टान से पृथक करते हुये राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार– क्रमांक–2 की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया है। अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा ने तहसीलदार तेंदूखेडाके प्रतिवेदन की पुष्टि करते हुये प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

तहसीलदार तेंदूखेडाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा की अनुशंसा टीप, प्रकरण में संलग्न संयुक्त स्थल निरीक्षण टीप सहित प्रकरण का परीक्षण किया। दमोह जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित जलाशयों में वन विभाग की भूमि का उपयोग किया गया है। इसी तारतम्य में उक्त भूमियों के बदले वन विभाग द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का हस्तांतरण करने की मांग की गई है। ग्राम दिनारी ह. न. 1 की शासकीय भूमि खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर ह. नं. 3 की शासकीय भूमि खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 वन विभाग की सीमा से लगी हुई एवं वन विभाग के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई। प्रचलित मार्गो पर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवरोध न करने की दशा में इन भूमियों का वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने से ग्रामवासियों के आम निस्तार प्रभावित नहीं होगें। चूँकि प्रस्तावित भूमि निस्तार पत्रक में मद पहाड़ चट्टान दर्ज है। अतएव निर्धारित मद पहाड चट्टान से पृथक करते हुये वन विभाग को वन भूमि के बदले गैर वन भूमि अंतरित किया जाना उचित पाता हूं। तहसीलदार तेंदूखेडा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रस्तावित भूमि ग्राम दिनारी खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 योग रकवा 168.68 हे0 प्रस्तावित किया है जबकि दोनों ग्रामों की भूमियों का वास्तविक योग (114.35+41.33 हे0) 155.68 हे0 होता है अतएव वास्तविक रकवा 155.68 हे0 ही वन विभाग को हस्तांतरित किया जा सकेगा। पूर्व में इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 5

अ/59 वर्ष 10–11 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2011 के अनुसार जलसंसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को 194 हे0 गैर वन भूमि हस्तांतरित की गई थी। किन्तु यह भूमि पूर्व से वन विभाग दर्ज होने से वन विभाग को अंतरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी भूमि के बदले वन विभाग को ग्राम दिनारी एवं देवरी लीलाधर की 155.68 हे0 भूमि अंतरित की जाना है।

उपरोक्त विवेचनानुसार दमोह जिले में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले तहसील तेंदूखेडा अंतर्गत ग्राम दिनारी पटवारी हल्का नं. 1 खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर पटवारी ह. नं. 3 खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 शासकीय भूमि म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत पहाड़ चट्टान मद से पृथक करते हुये प्रचलित मार्गों पर वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार अवरोध न करने की शर्त पर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार–क्रमांक–2 की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। तहसीलदार तेंदूखेडा विधिवत् पटवारी अभिलेख संशोधित कर वन विभाग को भूमि का आधिपत्य दिलाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

इस न्यायालय के प्रकरण क. 5 अ/59 वर्ष 2010–11 के आदेश दिनांक 26.09.2011 जिसके द्वारा ग्राम पिपरिया टीकाराम ह. नं. 1 तहसील तेंदूखेडा की शासकीय भूमि खरारा नं.238, 245, 246, 247, 271, 273, 274, 275, 272, 239, 240, 243, 242 कुल रकवा 194 हे0 वन विभाग को अंतरित किया गया है, निरस्त किया जाता है। तहसीलदार तेंदूखेड़ा तदनुसार पटवारी अभिलेख संशोधित करें।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
कलेक्टर दमोह
दमोह दिनांक 16 अप्रैल 2013

पृ.क्र. क/रीडर–कलेक्टर/2013

प्रतिलिपि:–

1. वन संरक्षक, पदेन वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल दमोह को उनके पत्र क्र. 838 दिनांक 22.03.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग, दमोह को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार तेंदूखेड़ा जिला दमोह को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
दमोह